

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय -- 2012/2021 श्रीमाधोपुर (सीकर)

मोहनलाल वगैरे बनाम चन्द्रमान वगैरह


गिरम मुकदमा इजराय

मुकदमा नम्बर-52/2021

नम्बर व त
इस हुकम
तारीख


29.12.21


वकील डिक्रीदार श्री फूलचन्द सामोता एडवो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.21 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का रथगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

02.09.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री साँवरमल यादव भू अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ऑनलाईन मिलान
निमा गमा
आदेशाची पाळना
ज.सं. 483 कि.
14.7.22 साटा
को गमा।

912

